

प्रेषक:

रोहित नन्दन,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी
उत्तर प्रदेश।

2. समस्त जिला कार्यक्रम समन्वयक/
मुख्य विकास अधिकारी
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग-7

दिनांक: 31 अक्टूबर, 2008

फोक; & राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना- उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत " जीवन शक्ति परियोजना" (औषधि एवं सगन्ध पौधों का पौध रोपण) के क्रियान्वयन के संबंध में।

महोदय

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम-2005 एवं दिशा निर्देश के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति विकसित करने के उद्देश्य से " जीवन शक्ति परियोजना" (औषधि एवं सगन्ध पौधों का पौध रोपण) क्रियान्वित किये जाने का निर्णय लिया गया है, जिसका वित्त पोषण राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना से किया जायेगा।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि योजना की रूपरेखा एवं क्रियान्वयन के विभिन्न स्तरों के दिशा निर्देश निम्नवत् होंगे:-

1- ; kstuk dk uke %

इस योजना को "जीवन शक्ति" परियोजना के नाम से क्रियान्वित किया जायेगा।

2- ; kstuk dk Lo: i vkj mnns ; %

आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति एक अति प्राचीन पद्धति है जिसके द्वारा सदियों से पारम्परिक वैद्यकों द्वारा क्षेत्रीय स्तर पर पारम्परिक औषधियों के माध्यम से बीमारी, लोगों को कम लागत पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जाती रही है। इस पद्धति में आवश्यक जड़ी बूटियों एवं सगन्ध अवयवों की आपूर्ति सम्बन्धित वैद्यकों द्वारा अपने पारम्परिक ज्ञान एवं अनुभव के आधार पर क्षेत्रीय रोग से स्थापित वनों से प्राप्त कर ली जाती थी।

परिस्थितियाँ बदलती गयी पारम्परिक वनों का अच्छादित क्षेत्रफल क्रमशः घटता ही गया इस कारण पारम्परिक रूप से वनों से उपलब्ध होने वाली औषधियों की व्यावहारिक उपलब्धता पर भी प्रश्नचिन्ह लगने लगा। कम लागत वाली पारम्परिक आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति धीरे-धीरे मँहगी होती गयी। पारम्परिक वैद्यकी एवं उसके व्यावहारिक पक्ष को देखते हुए एवं समाज में उसकी उपयोगिता को देखते हुए हमें इनके व्यावसायिक उत्पादन की ओर फिर से ध्यान देना होगा। ऐसा हो जाने से जहाँ इसका कृषि से जुड़े किसानों की आय में बढ़ोत्तरी होगी वहीं हमें अपने पारम्परिक वैद्यकी को रखते हुए आयुर्वेद को जनमानस के स्वास्थ्य की एक

आवश्यक आवश्यकता के रूप में विकसित कर सकेंगे। इस परियोजना से निम्नलिखित लाभ मिलेंगे।

1. ग्रामीण परिवारों को आय का एक अतिरिक्त जरिया मिल सकेगा।
2. पारम्परिक आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को सुदृढ़ करते हुए जन मानस के स्वास्थ्य एवं निरोगता को बढ़ावा मिलेगा।
3. सम्बन्धित किसानों के अतिरिक्त आय में बढ़ोत्तरी होगी।
4. औषधि के मामलों में एक मानक जी०एम०पी० (गुड मैनेफ़्यूक्चरिंग पैक्ट्रसिज एक्ट) प्रचलन सुनिश्चित हो सकेगा।
5. शुद्ध रूप से बोया गया क्षेत्रफल की बढ़ोत्तरी होने के कारण जी०डी०पी० में कृषि का अंश बढ़ेगा।
6. वर्तमान चिकित्सा सुविधा पर से अधिभार कम करने में सहयोग प्राप्त होगा।
7. आयुर्वेद/शास्त्रीय चिकित्सा पद्धति के कारण बेरोजगार वैद्यकों को रोजगार की मुख्य धारा में जोड़ा जा सकेगा।

3- **यह कार्य भारत सरकार के राज-पत्र संख्या 2311 दिनांक 06 मार्च, 2007 की अनुसूची-1 के पैरा-I में उपपैरा-IV के अन्तर्गत किया जा सकता है।**

राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी योजना की मार्गनिर्देशिका (यथा संशोधित वर्ष 2000) के प्रस्तर-6.1.1(4) के अनुरूप वर्णित श्रेणी के पात्र व्यक्तियों की निजी भूमि/क्षेत्र का भी चयन इस कार्य हेतु किया जा सकता है। उक्त के अतिरिक्त सामुदायिक भूमि एवं वन क्षेत्र में भी यह कार्य स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से किया जा सकता है।

4- **ग्राम पंचायत इस योजना के अंतर्गत अपनी स्वयं की भूमि पर चयनित प्रजाति के पौधों के रोपण हेतु इच्छुक लाभार्थियों से आवेदन प्राप्त करेगी तथा सामुदायिक भूमि एवं वन क्षेत्र में इस योजना के अंतर्गत कार्य करने की दशा में स्वयं सहायता समूहों से आवेदन प्राप्त किया जायेगा।**

पात्रता, पात्र लाभार्थियों के चयन तथा पौध रोपण हेतु इन लाभार्थियों द्वारा धारित भूमि के निर्धारण/क्षेत्र चयन के संबंध में विभाग द्वारा उद्यानीकरण से संबंधित निर्गत आदेश यथावत लागू होंगे।

5- **“जीवन शक्ति योजना” का कार्यक्षेत्र राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना-उत्तर प्रदेश में शामिल सभी जिले होंगे। सम्बन्धित जनपदों में यह योजना सामान्य कृषि हेतु उपयोग में आने वाली भूमि में अन्तःकृषि (दो फसलों के बीच का खाली समय)**

तथा कृषि की किसी भी गतिविधियों में सामान्य रूप से उपयोग में लायी जाने वाली अन्य भूमि को इसमें शामिल किया जा सकता है।

योजनान्तर्गत चयनित औषधियों का विवरण:

प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, वातावरण, मौसम इत्यादि की विविधता तथा औषधि एवं सघन पौध उत्पादन हेतु वर्तमान में उपलब्ध तकनीकी ज्ञान की उपलब्धता एवं उसके आसान आपूर्ति को देखते हुए सर्पगन्धा, अश्वगन्धा, कालमेघ, पाषाण भेद, सानाय, इस्बगोल तथा सघन पौधों में लेमन ग्रास, सेट्रोनेला तथा पामारोजा को सम्मिलित किया गया है। सम्बन्धित औषधियों का संक्षिप्त अर्थशास्त्र विवरण संलग्नक-1 पर प्रस्तुत है।

ग्राम पंचायत के द्वारा जीवन शक्ति परियोजना के अन्तर्गत चयनित कृषक, रकबा/सम्बन्धित फसलक्षेत्र एवं मानक लागत के सापेक्ष नोडल एजेन्सी के कर्मी से विचार-विमर्श कर प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की जायेगी। प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने में तकनीकी मार्गदर्शन हेतु नोडल एजेन्सी की मदद ली जायेगी। नोडल एजेन्सी द्वारा सम्बन्धित परियोजना के मूल्यांकन के बाद अपनी संस्तुति/मंतव्य सहित इसे ग्राम पंचायत को प्रेषित किया जायेगा। जीवन शक्ति योजना के अन्तर्गत प्रोजेक्ट रिपोर्ट में सम्मिलित कार्यों की एकजाई प्रशासकीय एवं तकनीकी स्वीकृति राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना-उत्तर प्रदेश के तहत समय-समय पर जारी निर्देशों के प्रावधानों के अनुरूप जारी की जायेगी। उपरोक्त कार्य योजना को ग्राम पंचायत अपने वार्षिक कार्य योजना में सम्मिलित करते हुए क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत का अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट में सम्मिलित करेगी।

कार्यक्रम की गुणवत्ता मानक स्तर पर बनाये रखने हेतु नोडल एजेन्सी द्वारा समस्त आवश्यक प्रयास किया जायेगा। औषधि एवं सगन्ध पौध रोपण का कार्य मौसमी/पेरिनियल प्रकृति का है एवं इसे श्रम साध्य गतिविधियों के रूप में शामिल किया गया है। ग्राम सभा/पंचायत की भूमि पर किये जाने वाले पौध रोपण के क्रम में ग्राम पंचायत तथा पब्लिक सेक्टर की सम्बन्धित कम्पनी अथवा उसके सहयोगी कम्पनी के मध्य संलग्नक प्रारूप पर अनुबन्ध किया जायेगा। मानक अनुबन्ध संलग्नक-3 पर प्रस्तुत है।

औषधि एवं सगन्ध पौधों की फसल तैयार होने पर कम्पनी लाभार्थी/स्वयं सहायता समूह से उत्पाद सीधे क्रय कर सकेगी। उत्पाद के मूल्यों में बाजार भाव में उतार-चढ़ाव काफी तीव्र होता है इस कारण बायो इनर्जी मिशन इण्टरनेट आधारित ट्रेडिंग व्यवस्था लागू करेगा ताकि पंचायतों/सम्बन्धित समूहों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य प्राप्त हो सके।

जीवन शक्ति योजना के अन्तर्गत सम्पादित होने वाले कार्यों के क्रियान्वयन में पारदर्शिता बरतने, निगरानी, मूल्यांकन कार्य के सापेक्ष मजदूरी का भुगतान, रिकार्ड एवं लेखा तथा सम्बन्धित अभिलेखों के सम्बन्ध में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत समय-समय पर जारी निर्देशों के प्राविधान यथावत लागू होंगे।

नोडल एजेन्सी का गठन:

जीवन शक्ति योजना को लागू किये जाने हेतु नियोजन विभाग के अन्तर्गत स्थापित "बायो इनर्जी मिशन" नोडल एजेन्सी के रूप में कार्य करेगी। इनके द्वारा इस सम्बन्ध में विस्तृत तकनीकी, मार्ग निर्देश, प्रशिक्षण, समस्त बैकवर्ड तथा फारवर्ड लिंकेज की व्यवस्था की जायेगी।

6- Q.M Qyks dk fooj .k %

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा जारी कार्यकारी निर्देश-2008 के पैरा 8.3.2 के प्राविधानों के अनुसार धनराशि का हस्तानांतरण जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा ग्राम पंचायतों को किया जायेगा। ग्राम पंचायतें स्वीकृत योजनाओं के सापेक्ष लाभार्थी के खेतों पर कार्य कराएगी। लाभार्थी परिवार के सदस्यों द्वारा स्वयं भी मजदूरी की जा सकती है। योजना के अंतर्गत कार्य करने वाले सभी मजदूरों को मजदूरी का भुगतान बैंक अथवा पोस्ट आफिस में खुले खाते के माध्यम से किया जायेगा।

7- l kexh dh 0; oLFkk %

इसके अन्तर्गत श्रेष्ठ एवं उत्तम गुणवत्ता की पौध/रोपण सामग्री, आवश्यक इनपुट तथा अन्य तकनीकी ज्ञान सम्बन्धित लाभार्थी, समूह तथा पंयायत को उपलब्ध कराना नोडल एजेन्सी का दायित्व होगा।

8- rduhdh i ; b\$kk .k %

इस परियोजना के अंतर्गत तकनीकी पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी कृषि विभाग/उद्यान विभाग/वन विभाग/बायो इनर्जी मिशन (नियोजन विभाग) की होगी।

9- fj i k\$V\$ o vuqJo.k dh 0; oLFkk %


कार्यक्रम से जुड़ी पब्लिक सेक्टर की कम्पनियों के प्रतिनिधि द्वारा बायो इनर्जी मिशन के नेतृत्व में योजना की समय-वद्ध मानिट्रिंग की जायेगी। इसके अलावा सम्बन्धित मानिट्रिंग रिपोर्ट जनपदवार कम्पनी के प्रतिनिधि द्वारा राज्य स्तर पर बायो इनर्जी मिशन को प्रत्येक फसल के अन्त में समय-वद्ध तरीके से उपलब्ध कराई जायेगी।

उक्त के अतिरिक्त परियोजना के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु मुख्य विकास अधिकारी जनपद स्तर पर उत्तरदायी होंगे। मुख्य विकास अधिकारी/जिला कार्यक्रम समन्वयक (नरेगा) द्वारा कम से कम परियोजना के 10 प्रतिशत कार्यों का स्थलीय निरीक्षण कराया जायगा। खण्ड विकास अधिकारी द्वारा अपने विकासखण्ड के कार्यों की शत-प्रतिशत निरीक्षण व अनुश्रवण कराया जायगा। उपरोक्तानुसार विभिन्न स्तरों पर की गई मॉनिटरिंग के निष्कर्षों के अभिलेख संबंधित स्तर पर अनिवार्यतः रखे जायेंगे। परियोजना के कार्यों की प्रगति की जानकारी प्रत्येक माह की 7 तारीख तक आयुक्त ग्राम्य विकास को प्रेषित की जायेगी।

- 10- **ykhkkFkhz ds nkf; Ro o vf/kdkj %**
 लाभार्थी क्रियान्वित किये जा रहे कार्यो का पर्यवेक्षण कर गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन सुनिश्चित करायेगा। ऐसे लाभार्थी जो कार्य करने हेतु इच्छुक हैं, वे स्वयं के द्वारा धारित भूमि पर स्वयं भी कार्य कर सकेंगे। लगाए गए पौधों की सुरक्षा एवं रख-रखाव की पूर्ण जिम्मेदारी लाभार्थी की होगी। औषधियों एवं सगन्ध पौध से सम्बन्धित फसलों के अनुरक्षण का कार्य सम्बन्धित पंचायत/स्वयं सहायता समूहों द्वारा की जायेगी। इस हेतु तकनीकी मार्ग निर्देश बायो इनर्जी मिशन द्वारा समय-समय पर जारी किये जायेंगे।
- 11- **xke i pk; r ds nkf; Ro %**
 ग्राम पंचायत अधिनियम के प्राविधानों के अनुरूप पात्र लाभार्थियों का चयन करेगी। चयनित लाभार्थियों द्वारा वांछित कार्य की कार्य योजना तैयार कराएगी। ग्राम पंचायत नोडल एजेंसी के साथ समन्वय स्थापित करेगी। तैयार कार्य योजना पर वांछित तकनीकी मार्गदर्शन प्राप्त करने के उपरान्त प्रशासनिक, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करेगी। ग्राम पंचायतें अपने क्षेत्र में निजी भूमि पर योजना का क्रियान्वयन भी कराएंगी।
- 12- **{ks= i pk; r ds nkf; Ro %**
 ग्राम पंचायतों से प्राप्त कार्य योजना को अधिनियम के प्राविधानों के अंतर्गत स्वीकृति प्रदान करते हुए जिला पंचायतों अपने संस्तुति/मंतव्य सहित अग्रसारित करेगी।
- 13- **l cf/kr ykbu foHkkx dk nkf; Ro %**
 योजनांतर्गत नोडल एजेंसी (नियोजन विभाग) तकनीकी मार्गदर्शन हेतु लाइन विभाग होगा।

कृपया उक्त परियोजना के क्रियान्वयन हेतु समस्त आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

 (रोहित नन्दन)
 प्रमुख सचिव

संख्या-2587 (1)/38-7-2008 तद्दिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखिता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
- (2) निजी सचिव, मा0 मंत्री, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश शासन।
- (3) स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- (4) स्टाफ ऑफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
- (5) प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- (6) प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- (7) प्रमुख सचिव, वन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- (8) प्रमुख सचिव उद्यान विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- (9) प्रमुख सचिव, खाद्य एवं प्रसंस्करण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- (10) प्रमुख सचिव, रेशम विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- (11) प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- (12) प्रमुख सचिव, लघु सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- (13) प्रमुख सचिव, मत्स्य विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- (14) प्रमुख सचिव, भूमि विकास एवं जल संसाधन, उत्तर प्रदेश शासन।
- (15) आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- (16) प्रमुख अभियन्ता सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश।
- (17) प्रमुख अभियन्ता, लघु सिंचाई, उत्तर प्रदेश।
- (18) प्रमुख वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश।
- (19) निदेशक, उद्यान, उत्तर प्रदेश।
- (20) निदेशक, खाद्य एवं प्रसंस्करण विभाग, उत्तर प्रदेश।
- (21) निदेशक, मत्स्य, उत्तर प्रदेश।
- (22) निदेशक, भूमि विकास एवं जल संसाधन, उत्तर प्रदेश।
- (23) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- (24) गार्ड बुक।

आज्ञा से,



(आर० पी० सिंह)
अनुसचिव।

I i &U/kk mRi knu dk; Øe dk vkfFkD fo' y\$'k.k

jdok % , d , dM+

Ø0I Ø	en	¼ i ; s e½
d%	<u>buiØ/ ykxr</u>	
1-	lykfUVæ e\$Vfj; y	9000-00
2-	dEi kLV [kkn	2000-00
3-	QI y I g {kk grq vko' ; d I kexh	800-00
4-	[kr dh tqrkbZ dh ykxr	600-00
5-	i kj fEHkd fl pkbZ ykxr	400-00
[k%	<u>I pkyu 0; ;</u>	
1-	[kr dh r\$ kjh grq Jfedka dks etnijh	1200-00
2-	[kkn dks [kr es fcNkus rFkk ml ds VhVedV dk 0; ;	800-00
3-	i k\$'k VkuI lyk. Vs' ku dj us ea 0; ;	1500-00
4-	fl pkbZ	800-00
5-	QI y dVkb] NVkb] i \$dæ rFkk Qkj ofMæ	1500-00
x&	I dy 0; ; ¼d\$ [k½	18600-00
?k&	vk; ¼400 fdxk tM+x : 0 90 i fr fdxk½	36000-00
p&	'kq) ykHk ¼?k&x½	17400-00
N&	QI y vof/k% 12 ekj] vxkeh 3 o"kkæ rd vk; i klr gksxhA	

yæuxkl mRi knu dk; Øe dk vkfFKd fo' yš'k.k

jdok % , d , dM+

Ø0l Ø	en	¼ i ; s e½
d%	<u>buių ykxr</u>	
1-	lykfUVæ eųVfj; y	5000-00
2-	dEi kLV [kkn	2200-00
3-	Ql y l j {kk grq vko' ; d l kexh	1150-00
4-	[kr dh tųkbz dh ykxr	950-00
5-	i kj fEHkd fl ųkbz ykxr	500-00
		9800-00
[k%	<u>l ųkyu 0; ;</u>	
1-	[kr dh rš kjh grq Jfedka dks etnjh	1250-00
2-	[kkn dks [kr es fcNkus rFkk ml ds VhVedV dk 0; ;	1140-00
3-	i kš'k VkuI lyk. Vš ku dj us ea 0; ;	1850-00
4-	fl ųkbz	900-00
5-	Ql y dVkb] NVkb] i ųdæ rFkk Qkj ofMæ	2000-00
		7140-00
x&	fcØh l s dųy vk;	37800-00
?k&	'kų ykHk ¼d& [k&x½	20860-00
p&	Ql y vof/k% 4&5 eghus i fr pØ , oa vkxs rhu o"kkæ rdA	

i kekjkst k mRi knu dk; Øe dk vkfFkd fo' yšk.k

jdok % , d , dM+

Ø0l Ø	en	¼ i ; s e½
d%	<u>buiØ/ ykxr</u>	
1-	lykfUVæ ešVfj; y	9150-00
2-	dEi kLV [kkn	2800-00
3-	Ql y l gj {kk grq vko' ; d l kexh	5400-00
4-	[kr dh tŕkbz dh ykxr	1500-00
5-	i kj fEHkd fl ŕkbz ykxr	715-00
		15115-00
[k%	<u>l ŕkyu 0; ;</u>	
1-	[kr dh rš kjh grq Jfedka dks etnjh	1900-00
2-	[kkn dks [kr es fcNkus rFkk ml ds VhVedV dk 0; ;	720-00
3-	i kšk VkuI lyk. Vš ku dj us ea 0; ;	1300-00
4-	fl ŕkbz	1500-00
5-	Ql y dVkb] NVkb] i šdæ rFkk QkjofMæ	1965-00
		7385-00
x&	fcØh l s dŕy vk;	42]450-00
?k&	'kŕ ykHk ¼d& [k&x½	19]950-00
M&	l e; %	4&5 eghus i fr pØ , oa vkxs rhu o"kkā rd tkjh jgsxA

fl Vksuyk mRi knu dk; Øe dk vkfFKd fo' yš'k.k
jdok % , d , dM+

Ø0l Ø	en	¼ i ; s e½
d%	<u>buiØ/ ykxr</u>	
1-	lykfUVæ ešVfj; y	12925-00
2-	dEi kLV [kkn	2000-00
3-	Ql y l gj {kk gsrq vko' ; d l kexh	620-00
4-	[kr dh tŕkbz dh ykxr	450-00
5-	i kj fEHkd fl ŕkbz ykxr	625-00
[k%	<u>l ŕkyu 0; ;</u>	
1-	[kr dh rš kjh gsrq Jfedka dks etnijh	400-00
2-	[kkn dks [kr es fcNkus rFkk ml ds VhVedV dk 0; ;	580-00
3-	i kš'k VkuI lyk. Vš ku dj us ea 0; ;	800-00
4-	fl ŕkbz	600-00
5-	Ql y dVkb] NVkb] i šdæ rFkk QkjofMæ	1000-00
x&	<u>l dy 0; ; ¼d\$ [k½</u>	20000-00
?k&	vk;	
	<u>l dy vk;</u>	45940-00
p&	'kq) ykHk ¼k&x½	25]490-00
N&	Ql y vof/k % i fr pkj ekg ea , d ckj rFkk , d ckj jks .k ds mi jkuŕ vkxkeh rhu o"kkæ rd i kflr; ka l ŕuf' prA	

v'oxak df"k dk vkfFkd fo'yšk.k

jdok % , d , dM+

ØOI Ø	en	¼ i ; s e½
d%	<u>buiØ/ ykxr</u>	
1-	lykfUVæ eVfj; y	1800-00
2-	dEi kLV [kkn	2500-00
3-	QI y I gj {kk grq vko' ; d I kexh	580-00
4-	[kr dh t¼kbZ dh ykxr	400-00
5-	i kj fEHkd fl pkbZ ykxr	600-00
[k%	<u>I pkyu 0; ;</u>	
1-	[kr dh r\$ kjh grq Jfedka dks etnijh	240-00
2-	[kkn dks [kr es fcNkus rFkk ml ds VhVedV dk 0; ;	480-00
3-	i kŠk VkuI lyk. VŠ ku dj us ea 0; ;	200-00
4-	fl pkbZ	400-00
5-	QI y dVkb] NVkb] i Šdæ rFkk QkjofMæ	800-00
x&	<u>I dy 0; ; ¼d\$ [k½</u>	8000-00
?k&	<u>vk;</u>	
1-	cht fcØh	1500-00
2-	tMš	18000-00
3-	ruk rFkk i fRr; kW	2000-00
	<u>I dy vk;</u>	21]500-00
p&	<u>'kq) ykHk ¼k&x½</u>	13500-00
N&	QI y vof/k% 135&150 fnu	

dkye?k mRi knu dk; Øe dk vkfFkzd fo' y\$'k.k

jdok % , d , dM+

	en	¼ i ; s e½
Ø0l Ø		ykxr
d%	<u>buiØ/ ykxr</u>	
1-	lykfUVæ e\$Vfj; y	2400-00
2-	dEi kLV [kkn	1800-00
3-	Ql y l gj {kk grq vko' ; d l kexh	600-00
4-	[kr dh tqrkbz dh ykxr	450-00
5-	i kj fEHkd fl pkbz ykxr	500-00
[k%	<u>l pkyu 0; ;</u>	
1-	[kr dh r\$ kjh grq Jfedka dks etnijh	260-00
2-	[kkn dks [kr es fcNkus rFkk ml ds VhVedV dk 0; ;	425-00
3-	i k\$'k VkuI lyk. V\$ ku dj us ea 0; ;	800-00
4-	fl pkbz	400-00
5-	Ql y dVkb] NVkb] i \$dæ rFkk QkjofMæ	865-00
x&	<u>l dy 0; ; ½d\$ [k½</u>	8500-00
?k&	<u>vk;</u>	
1-	ruk rFkk i fRr; kWfcØh l s vk;	28000-00
	<u>l dy vk;</u>	28000-00
p&	<u>'kq) ykHk ¼?k&x½</u>	
N&	Ql y vof/k% 150&160 fnu	

i k"kk.k Hkn mRi knu dk; Øe dk vkfFkd fo' ysk.k

jdok % , d , dM+

Ø0l Ø	en	¼ i ; s e½
d%	<u>buiØ/ ykxr</u>	
1-	lykflUvæ ešVfj; y	2000-00
2-	dEi kLV [kkn	1600-00
3-	Ql y l gj {kk grq vko' ; d l kexh	350-00
4-	[kr dh tŕkbz dh ykxr	600-00
5-	i kj fEHkd fl ŕkbz ykxr	500-00
[k%	<u>l ŕkyu 0; ;</u>	
1-	[kr dh rš kjh grq Jfedka dks etnijh	500-00
2-	[kkn dks [kr es fcNkus rFkk ml ds VhVedV dk 0; ;	600-00
3-	i kšk VkuI lyk. Vš ku dj us ea 0; ;	650-00
4-	fl ŕkbz	400-00
5-	Ql y dVkb] NVkb] i šdæ rFkk Qkj ofMæ	1000-00
x&	<u>l dy 0; ; ¼d\$ [k½</u>	8200-00
?k&	<u>vk; ¼V; ml l rFkk dye½</u>	30]000-00
p&	'kq) ykHk ¼k&x½	21]800-00
N&	Ql y dh vof/k 140&150 fnu	

I uk; mRi knu dk; Øe dk vkfFkd fo' ysk.k

jdok % , d , dM+

Ø0l Ø	en	¼ i ; s e½
d%	<u>bui Ø/ ykxr</u>	
1-	lykfUVæ eVfj; y	1200-00
2-	dEi kLV [kkn	800-00
3-	Ql y l gj {kk grq vko' ; d l kexh	350-00
4-	[kr dh t¼kbZ dh ykxr	250-00
5-	i kj fEHkd fl pkbZ ykxr	200-00
[k%	<u>l pkyu 0; ;</u>	
1-	[kr dh r\$ kjh grq Jfedka dks etnijh	400-00
2-	[kkn dks [kr es fcNkus rFkk ml ds VhVedV dk 0; ;	600-00
3-	i k\$ k VkuI lyk. Vs ku dj us ea 0; ;	800-00
4-	fl pkbZ	500-00
5-	Ql y dVkb] NVkb] i \$dæ rFkk QkjofMæ	400-00
x&	<u>l dy 0; ; ¼d\$ [k½</u>	5500-00
?k&	<u>vk;</u>	14]800-00
p&	'kq) ykHk ¼k&x½	9]300-00
N&	Ql y dh vof/k% 130&150 fnu	

bl oxsy mRi knu dk; Øe dk vkfFkd fo' yšk.k

jdok % , d , dM+

Ø0l Ø	en	¼ i ; s e½
d%	<u>buiØ/ ykxr</u>	
1-	lykfUVæ ešVfj; y	2175-00
2-	dEi kLV [kkn	1500-00
3-	Ql y l gj {kk grq vko' ; d l kexh	550-00
4-	[kr dh tŕkbz dh ykxr	450-00
5-	i kj fEHkd fl ŕkbz ykxr	625-00
[k%	<u>l ŕkyu 0; ;</u>	
1-	[kr dh rš kjh grq Jfedka dks etnijh	400-00
2-	[kkn dks [kr es fcNkus rFkk ml ds VhVedV dk 0; ;	550-00
3-	i kšk VkuI lyk. Vš ku dj us ea 0; ;	1200-00
4-	fl ŕkbz	600-00
5-	Ql y dVkb] NVkb] i šdæ rFkk QkjofMæ	2200-00
x&	<u>l dy 0; ; ¼d\$ [k½</u>	10]250-00
?k&	<u>vk; % 400 fdxk x : 0 63 i fr 0216 fdxk</u>	25]200-00
p&	<u>'kŕ) ykHk ¼?k&x½</u>	15]200-00
N&	<u>Ql y dh vof/k% 110&130 fnu rd</u>	